न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 08 / 2018

ओमप्रकाश पुत्र श्रीचन्द उम्र 40 साल जाति जाटव निवासी ग्रांम जिरोली तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा75 राज. भू राजस्व अधिनियम आदेश विरुद्ध नायब तहसीलदार भरतपुर दिनांक 12.2.2018 व मुकदमा सरकार बनाम ओमप्रकाश न्यायालय नायब तहसीलदार भरतपुर प्रकरण संख्या 71 / 17 ———

उपस्थितः–
1–श्री पुरुषोतम मुदगल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार,

आदेश **दिनांक 28.6.2022**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश नायब तहसीलदार भरतपुर दिनांक 12.2.2018 पेश की गई है। नायव तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.2.2018 से अपीलान्ट अतिकमी को सवंत 2074 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 215 कुल रकवा 0.19 हे0 में से .02 हे0 रकवे पर पक्का मकान बनाकर किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने व शास्ति कायम किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। नायब तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी आबादी की भूमि है जिसमे प्रार्थी ने मात्र 02ऐयर पर अपीलांट का छोटासा मकान आबादी क्षेत्र में बना हुआ है, जिस भूमि पर मकान बना हुआ है वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 215 का भाग नहीं है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि आबादी की भूमि पर धारा 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही नहीं चल सकेती है। उनका यह भी तर्क है कि आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी की कोई पैमाईस नहीं कराई गई है, अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य अवसर नहीं दिया जाकर तहत न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने यह भू–खण्ड खरीद किया है जो आबादी में है। अपील की देरी से पेश करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील की देरी को माफ करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का आदेश खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं गिर्दावर ने की है। तहत न्यायालय ने रिपोर्ट पर विधिवत कार्यवाही करते हुये धारा 91 एल आर एक्ट के तहत नोटिस जारी किये गये हैं। अपीलान्ट तहत न्यायालय में उपस्थित आता रहा है, तहत पत्रावली पर प्रत्येक तारीख पेशी पर अपीलान्ट के उपस्थित के हस्ताक्षर हो रहे हैं। अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में अपना जबाब पेश किया है। तहत न्यायालय ने पैमाइस कराई है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया ।

आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

> Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–
" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

इस प्रकार प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 को स्वीकार किया जाकर अपील की देरी को माफ करते हुये प्रकरण की मैरिट पर विचार किया गया। अपील में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं :–

1– आया अपीलान्ट का मकान आबादी भूमि में बना हुआ है ?
2– आया तहत न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी की पैमाईस नहीं कराई गई है ?
3– आया अपीलान्ट को तहत न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नही दिया ?

1– अपीलान्ट का यह कहना कि मकान आबादी भूमि में बना हुआ है, उसने यह भूखण्ड क्रय किया है। अपीलान्ट ने अपने जुबानी कथनों के समर्थन में ऐसा कोई पट्टा अभिलेख या आदेश हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे यह माना जा सके की यह निर्माण आबादी की भूमि हो। जब कि तहत पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का एवं गिदार्वर ने रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 215 के रकवा में से 02 ऐयर रकवा पर मकान निर्माण होना बताया है, विवादित भूमि गै.मु. सरकारी भूमि है।

2– तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि नायब तहसीलदार ने आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी की पैमाईस रिपोर्ट तलब की गई है। पैमाईस रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने अपीलान्ट का निर्माण विवादित आराजी खसरा नम्बर 215 में होना बताया है।

.....3

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

3– अपीलान्ट का यह कहना कि उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया है यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता है क्यों कि तहत न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में 09 तारीख पेशीयॉ में अपीलान्ट के उपस्थित होने के हस्ताक्षर हो रहे हैं। अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में अपना जबाब भी पेश किया गया है। तहत न्यायालय की आर्डरसीट के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है, परन्तु अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

इस प्रकार अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 215 किस्म भूमि गे.मु. के रकवा में से .02 ऐयर रकवा पर पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना निर्विवाद है। अस्तु अपील अपीलान्ट किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है। अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28–6–2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर